विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2019 / 1414 दिनांक :– 28-05-19

प्रति,

प्राचार्य,
विद्यासागर इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज,
तिलक मार्ग, खातेगांव,जिला–देवास।

विषय :– सत्र 2019–20 से महाविद्यालय में संचालित बी.सी.ए. पाठ्यक्रम बंद करने के संबंध में।

संदर्भ :– महाविद्यालय का पत्र क्रमांक / VIPS/310,दिनांक 12.02.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि, आपके द्वारा सत्र 2019–20 से बी.सी.ए. पाठ्यक्रम का संचालन बंद किये जाने का निवेदन किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन को विश्वविद्यालय में धारा 52 प्रभावशील होने के कारण परिनियम क्रमांक 27 की धारा 10(7) के प्रावधानानुसार गठित संकायाध्यक्षों की समिति के समक्ष दिनांक 05.04.2019 में प्रस्तुत की गई। जिसे समिति द्वारा मान्य किया जाकर निरीक्षण समिति की अनुशंसानुसार महाविद्यालय को सत्र 2019–20 में उपरोक्त पाठ्यक्रम बंद किये जाने की अनुशंसा की गई। जिसे माननीय कुलपतिजी द्वारा मान्य किया गया।

अतः 2019–20 से महाविद्यालय द्वारा संचालित बी.सी.ए. पाठ्यक्रम बंद किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि, सत्र 2019–20 में किसी भी छात्र को बी.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश नही दिया जावे एवं यदि भविष्य में महाविद्यालय द्वारा बी.सी.ए. पाठ्यक्रम पुनः प्रारंभ किया जाता है तो शासन की अनुमति एवं विश्वविद्यालय से नवीन सम्बद्धता प्राप्त करना होगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2019 / 1415 दिनांक :– 28-05-19

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त,उच्च शिक्षा विभाग,म.प्र.शासन,भोपाल।
2. क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,उज्जैन संभाग,उज्जैन।
3. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
4. प्राचार्य,के.पी.स्नातकोत्तर(अग्रणी) महाविद्यालय,देवास।
5. उपकुलसचिव / सहायक कुलसचिव,परीक्षा / गोपनीय / लेखा विभाग,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
6. प्रभारी, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
7. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर / वेबसाईट की ओर भेज कर निवेदन है कि,उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. कुलपति / कुलसचिव के निजी सहायक,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

की ओर सूचनार्थ।

अनुभाग अधिकारी(अकादमिक)